दिनांक : 13.07.2016

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 03 / परीक्षा / वरिष्ठ अध्यापक / माध्यमिक शिक्षा / 2016-17

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए **गैर टीएसपीक्षेत्र (सामान्य) हेतु राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971**के अन्तर्गत एवं **टीएसपी क्षेत्र हेतुराजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शतें) नियम, 2014** के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में विरिष्ठ अध्यापकके पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई—स्थाई होने की संभावना। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:—(पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।)

पदों की संख्या		सामान्य	पद		ঞ্	नुसूचित	जाति व	र्ग	अनुर	्चित ज	नजाति ।	वर्ग		पिछर	डा वर्ग		f	वेशेष पि	छडा वग	f
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
		ı				हि	न्दी	(कुल	1269	पद)	l		ı							
सामान्य पद 1068 पद	359	103	40	6	120	35	11	0	90	28	6	0	158	43	19	0	39	10	1	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 198 पद	71	21	8	1	7	2	0	0	63	17	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 3									;	3(सामा	न्य)									
		् दण्ड	व्त अ	रक्षण	–्भूतप्	वि सैनि	नेक (ग	रि टीए	सपी क्षे	র 128	पद/	'टीएस	पीक्षेत्र	24 पर	[)					
		ावशष र	याग्यज	न (गर	टाएस						टाएस	गक्षत्र	B/LV	4, LD/C	P 3)					
			- 40	_					626								- 10			
सामान्य पद ४६२ पद	156	43	18	3	51	15	5	0	39	12	3	0	67	22	6	0	18	3	1	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 164 पद	59	16	7	1	6	2	0	0	52	14	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		ું વિલોક્	इवत ३ जोराज	।।रक्षण (३)	— भूता च निवत	पूर्व सा	नक ([.]	יוע כוע	१सपा <i>६</i>	121 56 1121 / 2	પવ ∕ ૧૫૦૦૦૧	CIÁ41	गे क्षेत्र B/LV 3,	20 4G)					
		विराप	याग्य	17 (1	4 CIGA						गर्भप	। বাস	B/LV 3,	LD/CI	? 2)					
	72	20	0	-	25				442		1 2	0	22	10	2	0	0	2	•	_
सामान्य पद २१७ पद टी.एस.पी.क्षेत्र २२५ पद	72 80	20	8	2	25 8	8	1	0	19 71	5 20	8	2	32	10	0	0	8	0	0	0
टा.एस.पा.क्षत्र 225 पद	δU		_	_								_	। <u>ए</u> गीक्षेत्रः			U	U	U	U	U
		Qu	१५०० विक्री	व जोग्र व जोग्र	— मूत रचन (वे	पूप सा चित्र	गफ (१ ज्याती ४	गर टाए येन्रा रा	४समा द ∨८०७	121 <i>41</i> ਹਵਾ/ਵ	५५/ गाजा ी	टाएस १ क्षेत्र	। বাস LD/CP	28 पप् 2)	,					
			1941	1 41.0	101-1 (-				7 248		213/14	1 417	LD/CI	<i>ی</i>						
	55	16	6	0	18	5	नशाप 1	(पुरु	14	44)	0	0	23	7	2	0	7	•	•	_
सामान्य पद 158 पद टी.एस.पी.क्षेत्र 90 पद	33	9	4	0	3	1	0	0	28	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टा.एस.पा.बात्र ५० पप	33												ी क्षेत्र			U	U	U	U	
		4-1	विशो विशो	ग योग्र	ूर ।जन <i>ी</i>	रूप रा। रिटीए	गपर (रसपी १	तर छार् क्षेत्र स	()/CP 1	14 16 पद /त	, १५/ गुएसप	ार्याः क्षित्र	LD/CP	1)	,					
									(कुल			3171	LD/CI	-/						
सामान्य पद 1325 पद	443	126	50	9	150	41	16	0	110	32	11	0	195	55	21	2	49	12	3	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 202 पद	72	20	8	2	7	2	1	0	63	18	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 4 पद								3 (सा	मान्य) प	खं १ (सामान	य महि	। <u> </u>							
		दण्ड	वत अ	रक्षण	– भतप	ार्व सैन्	नेक (गै	र टीए	, सपी क्षे	<u>र १६२</u>	<u>, पद</u> /	<u>टी</u> एस	पीक्षेत्र	25 पर	(1)					
		विशेष र	योग्यज	 न (गैर	टीएस	र्गे क्षेत्र गिक्षेत्र	B/LV	25, LE)/CP 16	पद /	टीएस	री क्षेत्र	B/LV	7, LD/C	P 3)					
									2295		-									
सामान्य २०८३ पद	691	194	77	16	235	66	26	1	177	50	19	0	307	85	35	4	73	21	6	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 202 पद	73	21	8	1	7	2	0	0	64	18	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 10 पद						7	(सामान	य), 2	(सामान्य	य महित	ना) एव	i 1 (वि	धवा म	हिला)	ı					
		दण्ड	वत अ	ारक्षण	– भूतप	र्व सैन्	नेक (गै	र टीए	सपी क्षे	ন্ন 257	' पद /	टीएस	पी क्षेत्र	25 प	()					
	,	विशेष र	योग्यज	न (गैर	टीएंस	गैक्षेत्र	B/LV	32, LE	O/CP 27	पद/	टीएसप	री क्षेत्र	B/LV	3, LD/C	P 3)					
							उर्दू	(कुल	39 प	द)										
सामान्य ३९ पद	20	4	1	0	5	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
									तपूर्व सै		पद					U		U		
						τ	<u>गंजार्ब</u>	व्या	न 18	पद)										
सामान्य 18 पद	8	2	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
						दण्डव	त आरध	शण −भू	तपूर्व सै	नेक 2	पद		-							

नोट : —केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र / गैर टी.एस.पी. क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें, अन्यथा उन्हें टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध लाभ देय नहीं होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबीविषय के लिये) :--

(1) Graduate or equivalent examination with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (विज्ञान विषय के लिये) :-

Graduate or equivalent examination with at least two of the following subjects as Optional Subjects :

Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro Biology, Bio Technology and Bio Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) :-

Graduate or equivalent examination with at least two subjects out of thesubjects –History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy as optional subjects and Degree or Diploma in education recognized by Government of Rajasthan.

(2)(सभी विषय पदों हेतु): —Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

रनिंग पे—बेण्ड (9300—34800) ग्रेड पे रू. 4200 / — आयु सीमा दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान								
क्र.सं.		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)						
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जन	5						
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति	10						
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5						
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) र्मा	अधिकतम आयु सीमा नहीं						
		सामान्य	10					
	नि:शक्तजन	पिछड़ा / विशेष पिछड़ा वर्ग	13					
5.		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	15					
	नोट : राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति	ं (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नि	ायम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार					
	है-"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."							

	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान
1	भूतपूर्व कैदी जो दिण्डत् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के
	योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई
	अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग
3	के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष
	से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स / शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें
	सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में
	कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए
	अधिकतम आयु सीमा ४० वर्ष होगी।
8	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान् पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
9	कीनिया, तंजानिया, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
10	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में निहित प्रावधान के तहत् भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध उनकी ऊपरी
	आयु सीमा 50 वर्ष पूर्ण नेहीं होनी चाहिए, परन्तु सैन्य क्रॉस / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक
	शिथिल करने योग्य होंगी।

<u>नोट</u>—

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दियाँ जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- शासन से प्राप्त सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण मे किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी ऊपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतू देय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।
- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2013 में विज्ञापित किया गया था। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 में जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2017 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी।

अन्य विवरण					
अनेक पदों के लिए					
आवेदन—	जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर				
	Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का आवेदन पत्र				
	क्रमांक (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न-पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा				
	सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक-पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन				
	पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया				
	जाएगा।				
शैक्षणिक अर्हता संबंधी					
प्रावधान	पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र				
	होगा। स्पष्टीकरणः – उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक				
	पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।				
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।				
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की				
· ·	वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।				
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिला/संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम				
	तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवटन				
	अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता				
	है।				
आवेदन अवधि	दिनांक 25—07—2016से दिनांक 31—08—2016 रात्रि 12—00 बजेतक।				
आवेदन प्रक्रिया	1. ई-मित्र केन्द्रों एवं ई-मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 29.08.2016				
	होगी एवं ऑन—लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 31.08.2016 होगी।				
	2. अभ्यर्थियों द्वारा नेट बैंकिंग / ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क आयोग की वेब-साईट से				
	ई-ग्रास भुगतान के माध्यम का चयन कर जुमा कराई जा सकेगी एवं उक्त सुविधा आवेदन की अंतिम दिनांक तक उपलब्ध रहेगी।				
	3. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सीधे ही ई—ग्रास की वेबसाईट पर नहीं जावें।				
, , , , ,	4. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।				
आवेदन पत्र में ऑनलाईन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 01.09. 2016से दिनांक 15.09.2016 रात्रि 12 — 00 बजेतक।				
संशोधन					

Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

For the competitive examination for the post of senior teacher :-

- The question paper will carry maximum 200 marks.
- Duration of question paper will be 2.00 hours.
- The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
 - Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :- (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.

(ii) Current Affairs of Rajasthan

(iii) General knowledge of world and India

(iv) Educational Psychology.

80 marks 20 marks

60 marks

40 marks

Total 200 marks

The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

A. For the post of Senior Teacher:-

- The question paper will carry maximum 300 marks.
- Duration of question paper will be 2.00 Hours 30 Minutes
- The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
- Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them:-4.
- (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter. 180 marks 80 marks
- (ii) knowledge of graduation standard about relevant subject matter

(iii) Teaching methods of relevant subject.

Total 300 marks 5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

विशेष सूचना :-"यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 15 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Onlineसंशोधन कर सकता है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में Offlineसंशोधन एवं विकलांग / विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब—साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—िनर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।इसके अतिरिक्त समय—समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट http://www.rpsc.rajasthan.gov.in/applyonlineपर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरमाष सं.— 0145—5151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(भगवत सिंह राठौड़) उप सचिव